०८।५।२१	पत्रावली पेश। वकील उभय पक्ष हाजिर। वकील उभय बहस सुनी गयी। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 22.5.21 को पेश हो।
२२।५।२१	पत्रावली पेश। वकील उभय पक्ष उपस्थित। वकील उभय पक्ष बहस सुनी गयी। वकील प्रार्थी ने अपनी बहस मे बताया कि वादग्रस्त आराजियात मौरुसी जायदाद है जो प्रार्थी के पिता के नाम राजस्व रेकर्ड मे दर्ज है। प्रार्थी का उक्त आराजियात मे 1/3 हिस्सा निहित है। अप्रार्थीगण द्वारा जिन रुपयो के खर्च होने की बात कही है और जो हिसाब किताब बताया है वो सही नही है तथा यह सिविल न्यायालय का मामला है। प्रार्थी पर यदि रुपये उधार थे तो उसको चुकाने का कोई अधिकार अप्रार्थीगण को नही है। दादी के क्रियाकर्म (मौसर) [illegible] प्रार्थी द्वारा ख[illegible] किया गया था तथा दादी के नाम की भूमि अप्रार्थीगण द्वारा बेची गयी। प्रार्थी उस समय नाबालिग था

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2021.06.04 12:14:39 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए।
	प्रार्थी की बिना सहमति के अप्रार्थी द्वारा भूमि का बेचान किया गया जो विधि विरुद्ध है। अप्रार्थी सं. 2 का पुत्र अपना कर्जा चुकाने हेतु भूमि विक्रय करना चाहता है अतः अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबंद फरमाया जावे। वकील अप्रार्थीगण ने अपनी बहस मे बताया कि जमीन दादालाई पैतृक (मौरुसी) नहीं है, उक्त वादग्रस्त आराजियात अप्रार्थी सं. 1 की निजी खातेदारी की है। राजस्व रेकर्ड मे भी अप्रार्थी संख्या-1 रेकर्डेड खातेदार है। प्रार्थी द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज / साक्ष्य पेश नहीं किया गया जिससे यह सिद्ध हो कि उक्त आराजियात मौरुसी है। प्रार्थी को वाद / प्रार्थना-पत्र लाने का कोई अधिकार ही नहीं है। एक रेकर्डेड खातेदार ही अस्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने हेतु प्रार्थना-पत्र लाने का अधिकारी है जबकि प्रार्थी रेकर्डेड खातेदार नहीं है। दावा केवल निषेधाज्ञा का है 88 RTA का नहीं पेश किया गया है। किसी रेकर्डेड खातेदार के विरुद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती है। अप्रार्थी सं. 1 ने अपने दोनों पुत्रों की पढाई-लिखाई हेतु पूर्व में भी भूमि का बेचान किया जिसका प्रार्थी द्वारा कभी कोई उजर ऐतराज नहीं किया गया। प्रार्थी ना खातेदार है और ना ही प्रार्थी का वादग्रस्त आराजियात पर कब्जा है अतः प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी का नहीं बनता है। ना ही प्रार्थी को कोई क्षति हो रही है। असुविधा को अप्रार्थी को हो रही है। अतः प्रार्थना पत्र धारा-212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का खारिज फरमाया जावे। खण्डन (Rebuttal) बहस में वकील प्रार्थी ने बताया कि जवाब प्रार्थना पत्र में खरीदशुदा आराजियात संबंधी कोई दस्तावेज अप्रार्थीगण द्वारा पेश नहीं किये गये है। प्रार्थी द्वारा मौरुसी जमाबंदी की नकल पेश कर रखी है। अतः अप्रार्थीगण को अस्थायी निषेधाज्ञा द्वारा पाबंद	

लय उपखण्ड अधिकारी

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2021.06.04 12:14:39 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुए।

करवाया जावे। खण्डन (Rebuttal) बहस में वकील अप्रार्थीगण ने बताया कि आराजियात मौरुसी है तो उसको साबित करने का भार प्रार्थी पर है। प्रार्थी द्वारा पेश जमाबंदी नकल से यह सिद्ध नहीं होता है कि जमीन मौरुसी है अतः प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र खारिज फरमाया जावे। वकील अप्रार्थीगण ने बहस के साथ RRD 1994 पेज नं० 720 से 722, RRT 2003(2) पेज नं० 1341 से 1345 के दृष्टांत भी पेश किये।

हमने पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात व उभय पक्ष द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों का अवलोकन किया तथा वकील उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। प्रार्थी रेकर्डेड खातेदार नहीं है। प्रार्थी द्वारा जमीन के मौरुसी होने बाबत भी कोई दस्तावेज पेश नहीं किया गया। अस्थायी निषेधाज्ञा के तीनों बिन्दू प्रथम दृष्ट्या मामला, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति प्रार्थी अपने पक्ष में सिद्ध करा पाने में असमर्थ रहा है। अतः वकील उभय पक्ष की बहस एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र अंतर्गत धारा-212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का स्वीकार योग्य नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक [illegible] खुले न्यायालय में सुनाया गया।

22.4.21

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर
जिला-चित्तौड़गढ़ (राज.)

उपखण्ड अधिकारी

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2021.06.04 12:14:39 IST
Reason: SelfAttested